# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority


© Govt. of Haryana

No. 99–2021/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 23 जून, 2021
(2 आषाढ, 1943 शक)

**विधायी परिशिष्ट**


| क्रमांक | विषय वस्तु | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **भाग I** | **अधिनियम** | |
| | कुछ नहीं। | |
| **भाग II** | **अध्यादेश** | |
| | कुछ नहीं। | |
| **भाग III** | **प्रत्यायोजित विधान** | |
| | अधिसूचना संख्या का०आ० 33/के०अ० 35/2019/धा० 102/2021, दिनांक 23 जून, 2021.– हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के प्रकाशन बारे। | 311—316 |
| | (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित) | |
| **भाग IV** | **शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन** | |
| | कुछ नहीं। | |

**भाग–III**

**हरियाणा सरकार**

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 23 जून, 2021

**संख्या का०आ० 33/के०अ० 35/2019/धा० 102/2021.–** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्दीय अधिनियम 35) की धारा 102 की उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के खण्ड (ज) तथा (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

**1.** (1) ये नियम हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2021 कहे जा सकते है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

**2.** (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 35);

(ख) 'सदस्य' से अभिप्राय है, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसी भी स्थिति हो, का सदस्य;

(ग) 'अध्यक्ष' से अभिप्राय है, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसी भी स्थिति हो, का अध्यक्ष;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें अधिनियम में दिये गये है।

जिला आयोग के अध्यक्ष को भुगतानयोग्य वेतन तथा भत्ते।

**3.** अध्यक्ष निम्नलिखित प्राप्त करने का हकदार होगा,–

(i) जिला न्यायाधीश को यथा अनुज्ञेय न्यूनतम सैलेक्शन ग्रेड अर्थात्;– 57700–1230–58930–1380–67210–1540–70290/– में वेतन अथवा हरियाणा राज्य द्वारा, समय–समय पर, यथा पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन। यदि अध्यक्ष कोई पेंशन (पेंशन + संराशित पेंशन, यदि कोई हो) प्राप्त कर रहा है, तो उसे उसके वेतन से घटाया जाएगा;

(ii) दो हजार रूपए प्रतिमास की दर पर वाहन भत्ता;

(iii) एक हजार रूपए प्रतिमास की दर पर टेलिफोन/मोबाईल/ब्राडबैण्ड इत्यादि भत्ता;

(iv) हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को यथा लागू मकान किराया भत्ता अथवा पुनर्नियुक्ति के मामले में, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों के भत्ते), नियम, 2016 के नियम 27 के अनुसार मकान किराया भत्ता;

(v) केवल आधिकारिक दौरे हेतु यात्रा भत्ते अनुदेशों के ग्रेड–।। में आने वाले हरियाणा सरकार के ग्रुप–क अधिकारियों को यथा लागू यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (कार्यकाल पूरा होने पर समग्र अनुदान के लिए हकदार नहीं होगा);

(vi) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में दस दिन का आक्स्मिक अवकाश;

(vii) हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों के लिए भत्ते) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार चिकित्सा भत्ता।

जिला आयोग के सदस्य को भुगतानयोग्य वेतन तथा भत्ते।

**4.** सदस्य निम्नलिखित प्राप्त करने के हकदार होंगे,–

(i) प्रतिमास 55,000/– रूपए नियत मानदेय। 3 प्रतिशत (प्रत्येक वर्ष नियत 1650/– रूपए) की दर पर वार्षिक वृद्धि की जायेगी;

(ii) दो हजार रूपए प्रतिमास की दर पर वाहन भत्ता;

(iii) हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को यथा लागू मकान किराया भत्ता;

(iv) केवल आधिकारिक दौरे हेतु यात्रा भत्ते अनुदेशों के ग्रेड–।।। में आने वाले हरियाणा सरकार के ग्रुप–क अधिकारियों को यथा लागू यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (कार्यकाल पूरा होने पर समग्र अनुदान के लिए हकदार नहीं होगा);

(v) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में दस दिन का आक्स्मिक अवकाश;

राज्य आयोग के अध्यक्ष को भुगतानयोग्य वेतन तथा भत्ते।

**5.** (i) राज्य आयोग का अध्यक्ष, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश को यथा लागू वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा;

(ii) अध्यक्ष के रुप में नियुक्त कोई व्यक्ति, जो पेंशन (पेंशन + संराशित पेंशन, यदि कोई हो) प्राप्त कर रहा है, तो उसे उसके द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की सकल राशी को वेतन से घटाया जाएगा।

राज्य आयोग के सदस्य को भुगतानयोग्य वेतन तथा भत्ते।

**6.** सदस्य निम्नलिखित प्राप्त करने के हकदार होंगे,–

(i) प्रतिमास 80,000/– रूपए नियत मानदेय। 3 प्रतिशत (प्रत्येक वर्ष नियत 2400/– रूपए) की दर पर वार्षिक वृद्धि की जायेगी;

(ii) दो हजार रूपए प्रतिमास की दर पर वाहन भत्ता;

(iii) एक हजार रूपए प्रतिमास की दर पर चिकित्सा भत्ता, किन्तु किसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा;

(iv) एक हजार रूपए प्रतिमास की दर पर टेलिफोन/मोबाईल/ब्राडबैण्ड इत्यादि भत्ता;

(v) हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को यथा लागू मकान किराया भत्ता;

(vi) केवल आधिकारिक दौरे हेतु यात्रा भत्ते अनुदेशों के ग्रेड–।। में आने वाले हरियाणा सरकार के ग्रुप–क अधिकारियों को यथा लागू यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (कार्यकाल पूरा होने पर समग्र अनुदान के लिए हकदार नहीं होगा);

(vii) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में दस दिन का आक्स्मिक अवकाश।

आकस्मिक रिक्ति।

**7.** राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसा भी स्थिति हो, में अध्यक्ष के पद की आकस्मिक रिक्ति होने के मामले में, राज्य सरकार को ज्येष्टतम सदस्य को अध्यक्ष के रुप में कार्य करने के लिए नियुक्त करने की शक्ति होगी।

वित्तीय तथा अन्य हितो की घोषणा।

**8.** अध्यक्ष अथवा सदस्य, अपना पद ग्रहण करने से पहले, अपनी आस्तियों, अपने दायित्वों और वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा करेगा।

सेवा की अन्य शर्तें

**9.** (i) अध्यक्ष अथवा सदस्य, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसी भी स्थिति हो, से सेवानिवृत होने के पश्चात् राज्य आयोग अथवा जिला आयोग में वकालत नहीं करेगा;

(ii) अध्यक्ष अथवा सदस्य, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसी भी स्थिति हो, इन क्षमताओं में कार्य करते हुए किसी प्रकार का मध्यस्थता का कार्य नहीं करेगा ।

(iii) राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसी भी स्थिति हो, का अध्यक्ष अथवा सदस्य, उस तिथि, जिसको वे पद पर बने नहीं रहते हैं, से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति, जो राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में पक्षकार रहा हो, के प्रबंधन अथवा प्रशासन में, अथवा उससे संबधित किसी भी रोजगार को स्वीकार नहीं करेगाः

परंतु इस नियम में दी गई कोई बात, केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी वैधानिक प्राधिकरण अथवा किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन स्थापित किसी निगम अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18), की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कम्पनी के अधीन किसी नियोजन पर लागू नहीं होगी।

पद और गोपनीयता की शपथ।

**10.** अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, इन नियमों से संलग्न प्ररूप–। में पद की शपथ तथा प्ररूप–।। में गोपनीयता की शपथ लेगा।

निधि।

**11.** वेतन, पारिश्रमिक और अन्य भत्तों का भुगतान राज्य सरकार की संचित निधि में से किया जाएगा।

**प्ररुप–।**

*(देखिए नियम 10)*

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्ररुप

मैं, ....., राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हरियाणा/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, ..... के अध्यक्ष/सदस्य के रुप में नियुक्त किये जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूं कि मैं अपनी सर्वोतम क्षमता, ज्ञान और विवेकबुद्धि से राज्य आयोग/जिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रुप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन करुंगां और किसी भय अथवा पक्षपात, राग अथवा द्वेष के बिना निर्णय दूंगा तथा मैं सविधान और देश की विधि की रक्षा करुँगा।

स्थान
दिनांक

अध्यक्ष/सदस्य के हस्ताक्षर

**प्ररुप–।।**

*(देखिए नियम 10)*

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररुप

मैं, ....., राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हरियाणा/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, ..... के अध्यक्ष/सदस्य के रुप में नियुक्त किये जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूं कि मैं, अध्यक्ष/सदस्य के रुप में मेरे कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए यथा अपेक्षित के सिवाय, मेरे विचारार्थ प्रस्तुत किए गए अथवा राज्य आयोग/जिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रुप में मुझे ज्ञात हुए, किसी मामलें को किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से संसूचित अथवा प्रकट नहीं करुगां।

स्थान
दिनांक

अध्यक्ष/सदस्य के हस्ताक्षर

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें विभाग।

*[Authorised English Translation]*

**HARYANA GOVERNMENT**

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

**Notification**

The 23rd June, 2021

**No. S.O. 33/C.A. 35/2019/S. 102/2021.—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and Clauses (h) and (m) of sub-section (2) of Section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (Central Act 35 of 2019), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

Short title and commencement

**1.** (1) These rules may be called the Haryana Consumer Protection (Salary, allowances and conditions of service of President and Members of the State Commission and District Commission) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

Definitions

**2.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) 'Act' means the Consumer Protection Act, 2019 (Central Act 35 of 2019);

(b) 'Member' means the Member of the State Commission or the District Commission, as the case may be;

(c) 'President' means the President of the State Commission or the District Commission, as the case may be;

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

Salaries and allowances payable to President of District Commission.

**3.** The President shall be entitled to,-

(i) salary as is admissible to a District Judge at minimum of the Selection Grade (i.e. 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290) or revised from time to time in the State of Haryana. Person, who is in receipt of any pension (inclusive commuted portion of pension) shall be reduced from his pay.

(ii) conveyance allowance at the rate of two thousand rupees per month.

(iii) telephone/mobile/broadband allowance etc. at the rate of one thousand rupees per month.

(iv) House rent allowance (HRA) as applicable to the Haryana Government employees or in case of re-employment, house rent allowance shall be allowed as per rule 27 of the Haryana Civil Services (Allowances to Government Employees), Rules, 2016.

(v) travelling allowance/daily allowance (TA/DA) on official tour only (not entitled for composite grant on completion of tenure) as applicable to the Group A Officers of the Haryana Government falling in Grade-II of travelling allowance instructions.

(vi) ten days causal leave in a calendar year.

(vii) medical allowance as per provisions of the Haryana Civil Services (Allowances to Government Employees) Rules, 2016.

Salaries and allowances payable to Member of District Commission.

**4.** The Members shall be entitled,-

(i) a fix honorarium of ₹ 55,000/- per month. There shall be an annual enhancement at the rate of 3% (i.e. ₹ 1,650/- fixed in each year).

(ii) conveyance allowance at the rate of two thousand rupees per month.

(iii) house rent allowance (HRA) as applicable to Haryana Government employees.

(iv) travelling allowance/daily allowance (TA/DA) on official tour only (not entitled for composite grant on completion of tenure) as applicable to the Group-A Officers of the Haryana Government falling in Grade-III of travelling allowance instructions.

(v) ten days causal leave in a calendar year.

Salaries and allowances payable to President of State Commission.

**5.** (i) The President of the State Commission shall receive the salary, allowance and other facilities as are admissible to a sitting judge of the High Court of the Punjab and Haryana.

(ii) The pay of a person appointed as President, who is in receipt of any pension shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

**6.** The Members shall be entitled to,- Salaries and allowances payable to Members of State Commission.

(i) a fix honorarium of ₹ 80,000/- per month. There shall be an annual enhancement at the rate of 3% (i.e. ₹ 2,400/- fixed in each year).

(ii) conveyance allowance at the rate of two thousand rupees per month.

(iii) medical allowance at the rate of one thousand rupees per month but shall not be entitled to any medical reimbursement.

(iv) allowance for telephone/mobile/ broadband etc. at the rate of one thousand rupees per month.

(v) house rent allowance (HRA) as applicable to the Haryana Government employees.

(vi) travelling allowance/daily allowance (TA/DA) on official tour only (not entitled for composite grant on completion of tenure) as applicable to the Group-A Officers of the Haryana Government falling in Grade-II of travelling allowance instructions.

(vii) ten days causal leave in a calendar year.

**7.** In case of a casual vacancy in the office of President in the State Commission or District Commission, as the case may be, the State Government shall have the power to appoint the senior most member to officiate as President. Casual Vacancy.

**8.** The President or member shall, before entering upon his office, declare his assets, liabilities and financial and other interests. Declaration of financial and other interest.

**9.** (i) The President or member shall not practice before the State Commission or the District Commission after retirement from the service of the State Commission or the District Commission, as the case may be. Other conditions of service.

(ii) The President or member shall not undertake any arbitration work while functioning in these capacities in the State Commission or the District Commission, as the case may be.

(iii) The President or member of the State Commission or the District Commission, as the case may be, shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the State Commission or the District Commission:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013).

**10.** Every person appointed to be the President or member shall, before entering upon this office, make and subscribe an oath of office in Form I and oath of secrecy in Form II annexed to these rules. Oath of office and secrecy.

**11.** The salary, remuneration and other allowances shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government. Fund.

**FORM I**

*(see rule 10)*

Form of oath of Office for the President and Member of the State Commission and District Commission.

I, A.B., _____ having been appointed as the President/ Member in the State Consumer Disputes Redressal Commission, Haryana/District Consumer Disputes Redressal Commission,..... do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the President/Member of the State Commission/District Commission/ to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of land.

Place
Date: (Signature of the President/Member)

**FORM II**

*(see rule 10)*

Form of oath of Office for the President and Member of the State Commission and District Commission

I, A.B., _____ having been appointed as the President/ Member in the State Consumer Disputes Redressal Commission, Haryana/District Consumer Disputes Redressal Commission,..... do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as President/Member of the State Commission/District Commission except as may be required for the due discharge of my duties as the President/Member.

Place
Date: (Signature of the President/Member)

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department.

9214—L.R.—H.G.P., Pkl.